

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

Mail ID-rwdecdbg2@gmail.com

पत्रांक 2406. /

दिनांक 05/12/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Galaxy Construction,
Prop:-Amir Haider
Vill-Bankipur, Bhadurpur,
Laheriyasara, Dist-Darbhanga-846001).

विषय:- शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत Navnirmit MMGSY to Mushari Tola तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- (1) एकरारनामा संख्या- 30/SBD/2021-22 दिनांक- 14.07.2021
(2) इस कार्यालय के पत्रांक-1728 दिनांक-29.09.2023

महाशय,

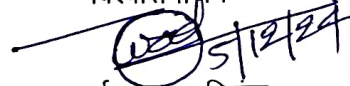
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का मूल कार्य दिनांक-31.03.2022 को आपके द्वारा पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप में निर्देशित किया गया था, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक-19.09.2023 को विषयांकित पथ का निरीक्षण मुख्यालय स्तर पर गठित उरनदस्ता टीम के द्वारा किया गया था। जॉचोपरान्त पथ की स्थिति असंतोष रहने के कारण में "U" ग्रेडिंग प्रदान किया गया। त्रुटियों को सुधार करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1728 दिनांक-29.09.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा सुधार नहीं किया गया है। तदोपरान्त BRRMS App के Rectification Module में प्रदर्शित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-02.12.2024 को उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच की गई जिसमें "SRI" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। निरीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियों पाया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :-

- पथ के चैनल-50 मी0, 150मी0 एवं अन्य जगह पथ के पलैंक में जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- पथ के पी0सी0सी0 भाग में कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो जाना।
- पथ में हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना।
- पथ के CD में Parapat Wall का अनुरक्षण के तहत पेंटिंग एवं उसकी संख्या/ चैनल नहीं अंकित रहना।
- मेन बोर्ड/ अनुरक्षण बोर्ड एवं लोगोबोर्ड का पेंटिंग नहीं होना एवं उनपर पूर्ण सूचना अंकित नहीं रहना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में उक्त वर्णित त्रुटियों को पन्द्रह दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके निबंधन को SBD की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जायेगा। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन

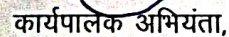


कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 2406. / दिनांक 05/12/2024 /

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2